प्रेषक,

शकील अहमद सिद्दीकी,
उप सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

खाद्य प्रसंस्करण अनुभाग **लखनऊ::दिनांक: 17 सितम्बर, 2021**

विषय:- अनुदान संख्या-10 के अधीन खाद्य प्रसंस्करण शाखा के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2021-22 हेतु नवीन मांग के माध्यम से क्षेत्रीय अनुसंधान एवं विश्लेषण केन्द्र, लखनऊ को सहायता दिये जाने के निमित्त व्यवस्थित धनराशि रू0-100.00 लाख को अवमुक्त कराये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्रांक-53/बजट/2021-22, दिनांक: 03.09.2021 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2- उक्त के संबध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2021-22 में अनुदान सं0-10 के अन्तर्गत खाद्य प्रसंस्करण विभाग के अंतर्गत नवीन मांग के माध्यम से लेखाशीर्षक-2415-80-004-08-क्षेत्रीय अनुसंधान एवं विश्लेषण केन्द्र, लखनऊ को सहायता के अंतर्गत मानक मद 20-सहायता अनुदान-सामान्य (गैर वेतन) में प्राविधानित धनराशि रू0-100.00 लाख के सापेक्ष शासनादेश संख्या-92/2021/540/58-2-2021-300(5)/2021, दिनांक-30.06.2021 द्वारा धनराशि रू0-25.00 लाख की स्वीकृति की गयी थी। उक्त मद में अवशेष धनराशि रू0-75.00 लाख के सापेक्ष धनराशि रू0-रू0-63.11 लाख (रूपये तिरसठ लाख ग्यारह हजार मात्र) अवमुक्त करते हुए आपके निवर्तन पर रखते हुए निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन व्यय किये जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है, जिसका विवरण निम्नवत है :-

(धनराशि लाख रू0 में)

अनुदान सं0/लेखाशीर्षक	वित्तीय वर्ष 2021–22 में प्राविधान	पूर्व में निगर्त धनराशि	अवमुक्त की जाने वाली धनराशि
अनुदान सं0–10 लेखाशीर्षक–2415–80–004–08–क्षेत्रीय अनुसंधान एवं विश्लेषण केन्द्र लखनऊ को सहायता मानकमद– **20–सहायता अनुदान–सामान्य (गैर वेतन)**	100.00	25.00	63.11
योग–	**100.00**	**25.00**	**63.11**

(रूपये तिरसठ लाख ग्यारह हजार मात्र)

1. धनराशि का कोषागार से आहरण एवं व्यय तभी किया जायेगा, जब निदेशक, उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग द्वारा यह सुनिश्चित कर लिया जायेगा कि कोविड-19 के कारण उत्पन्न प्रतिकूल परिस्थितियों के बावजूद योजना के कार्यक्रमों का संचालन किया जाना आवश्यक एवं अपरिहार्य है।

2. प्रस्ताव में आकड़ों की शुद्धता सुनिश्चित की जायेगी।

3. जिन प्रकरणों में उत्तर प्रदेश बजट मैनुअल और वित्तीय नियम संग्रहों तथा स्थायी आदेशों के अन्तर्गत राज्य सरकार केन्द्र सरकार अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति/निदेशक, उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग/वित्त नियंत्रक, निदेशालय, उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग द्वारा प्राप्त की जानी आवश्यक हो, उन मामलों में व्यय करने के पूर्व ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जायेगी।

.....2/-

http://shasanadesh.up.gov.in

4. निदेशक, उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग द्वारा बजट आवंटन में इस बात का स्पष्ट रूप से उल्लेख किया जाय कि आहरण एवं वितरण अधिकारियों द्वारा कोषागार से धनराशि का आहरण तत्काल आवश्यकता होने पर ही किया जायेगा।

5. व्यय प्रबन्धन एवं शासकीय व्यय में मितव्ययिता के सम्बन्ध में वित्त विभाग द्वारा समयसमय पर जारी - आदेशों का विशेष रूप से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

6. धनराशि के आहरण एवं व्यय के दौरान वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या-3/2021/बी-1-375/दस-2021-231/2021, दिनांक 22.3.2021 में दिये गये दिशानिर्देशों का अनुपालन अनिवार्य रूप से सुनिश्चित किया जायेगा।-

7. खाद्य प्रसंस्करण शाखा के अन्तर्गत व्यवस्थित मदों के अतिरिक्त किन्हीं अन्य मदों में उक्त धनराशि का व्यय कदापि नहीं किया जायेगा। यदि किन्हीं अन्य मदों में उक्त धनराशि का व्यय किया जाता है तो इसे वित्तीय अनियमितता माना जायेगा। निदेशक, उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग तथा आहरण एवं वितरण अधिकारी इस हेतु पूर्ण रूप से उत्तरदायी होंगे।

8. उक्त स्वीकृत धनराशि का व्यय उत्तर प्रदेश बजट मैनुअल और फाइनेन्सियल हैण्डबुक के नियमों प्राविधानों के अनुसार नियन्त्रक अधिकारी के नियन्त्रण में किया जायेगा।

9. स्वीकृत धनराशि के व्यय का विवरण/उपयोगिता प्रमाण-पत्र यथा वित्तीय नियमों के अनुसार शासन/वित्त विभाग को उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जायेगा।

10. उपरोक्त शर्तों एवं अनुबन्धों का अनुपालन कड़ाई से सुनिश्चित किया जायेगा। विचलन की स्थिति में वित्तीय अनियमितता मानी जायेगी जिसके लिए निदेशक, उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग तथा वित्त नियंत्रक, उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग, उ0प्र0 उत्तरदायी होंगे।

3- यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या-ई-1-1047-दस-2021-2022, दिनांक 16.09.2021 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किया जा रहा है।

भवदीय,

(शकील अहमद सिद्दीकी)
उप सचिव।

संख्या-94/2021/749(1)/58-2-2021, तद्दिनांक:

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

(1) महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
(2) महालेखाकार (लेखा-परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, सत्यनिष्ठा भवन, 15, थार्न हिल रोड, प्रयागराज ।
(3) मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
(4) वित्त नियंत्रक/आहरण एवं वितरण अधिकारी, उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण निदेशालय, उ0प्र0 लखनऊ।
(5) वित्त (व्यय-नियन्त्रण) अनुभाग-1, उत्तर प्रदेश शासन।
(6) वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1, उत्तर प्रदेश शासन।
(7) वित्त संसाधन (केन्द्रीय सहायता) अनुभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
(8) गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(शकील अहमद सिद्दीकी)
उप सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in